SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL

प्रकार शिरा प्रिकार शिरा प्रथम अपिए एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक /2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना. किला
प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

The offence complained of, and date of its alleged commission

अपने दिनांक रिनांक को जिल्ला को स्थान के स्थान

तुम्हारा उपराक्त कृत्य धारा प्राप्ता चाहते हों। किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

> चैकज शर्मा न्यायिक मजिएटेट प्रथम श्रेणी सोहट जिला-भिण्ड (मप्र)

The plea of the accused and bis examination [if any]-- आरोपी का अभिवाक्-

इसीम रवा

पंकर्ज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-निण्ड (भ.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक 2:1:18 को घोषित किया गया)

1.		अभि	युक्त/इ	अभियुक्तग	ण को	धारा	4	.45)	र ह्	त्त व	ोडा ३	ाधिनिय-	म के	तहत	अपराध	विवरण
समरी	शीट प	गर तैयार	कर पव	कर सुना	ये व	समझाये	गये	तो अ	भियुक्त	/ आ	भेयुक्त	गण ने	स्वेच्छ	यापूर्वव	उपराध	। किया
जाना	स्वीकार	किया।														

2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा कि एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा कि चूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये कि अंवर्षड से दंडित किया जाता है।

3. अर्थदंड अदा नहीं करने घर प्रत्येक को 💆 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4: प्रकरण में जप्तशुदा केर्पा 195 क्या राजसात किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो। क्या हो। क्या हो। क्या राजसात किये जाते स्थान-भिण्ड

विनांक- 91118 विकास महिल्ला (१४) विकास करते ।

निर्णय आज दिनांकित एवं .. हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

पीकाज शर्मा साधिक में पथम श्रेणी गढ़िंद (म.प्र.) मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

पंकार शर्मी न्यायिक मणिड्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

clause (f) or clause (q), of sub-section

1